संख्या- 08 /2019/ 753 /46-2-19-102 (9) /2019

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 04 अप्रैल, 2019

विषय- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिल मोहिउददीनपुर (मेरठ), पिपराईच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.25.00 करोड़ की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. के पत्र संख्या-एफ.ए./ एसएससी /गन्ना मूल्य/मोहि0 /13 दिनांक 02.04.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिल मोहिउददीनपुर (मेरठ), पिपराईच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में ऋण के रूप में प्राविधानित धनराशि रू.25.00 करोड (रूपया पचीस करोड़ मात्र) को अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित कर उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिल मोहिउददीनपुर (मेरठ), पिपराईच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) के पेराई सत्र 2018-19 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ।

2- उक्त धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

3- इस आदेश द्वारा स्वीकृत ऋण की शर्ते निम्नानुसार होंगी:-

- राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षो में की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- ब्याज की दर 14 प्रतिशत (11.50 + 2.50) वार्षिक होगी तथा नियमित अदायगी पर 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।
- मूलधन/ ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।
- मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगांठ तिथि को की जानी होगी।

4- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

5- चीनी निगम द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(1) कोषागार का नाम-
(2) चालान संख्या तथा दिनांक-
(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज
(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज
(5) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

6- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

7- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

8- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

9- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन निदेशक (वित्त) / प्रधान प्रबन्धक (लेखा)/ प्रधान प्रबन्धक (वित्त)/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-उ.प्र. राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज-30-निवेश/ ऋण के नामे डाला जाएगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6/330/दस-2019 दिनांक 04 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या- 08 /2019/ 753 (1) /46-2-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- संयुक्त सचिव (श्री गुप्त)/नोडल अधिकारी (बजट), चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।